प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 6349/2018

अभिनय दास माणिकपुरी पिता स्वर्गीय श्री घनश्याम दास माणिकपुरी 28 वर्ष निवासी गाँव बालोदगहन, तहसील गुरुर, जिला बालोद, जिलाःबालोद, छत्तीसगढ़।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, लोक निर्माण विभाग विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिलाः रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – अधीक्षक,लोक निर्माण विभाग अभियंता, सर्कल संख्या 2, रायपुर जिला रायपुर, जिलाः रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, प्रभाग धमतरी, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

----उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु:--श्री रवि भगत, अधिवक्ता

राज्य हेतु :--श्री प्रतीक तिवारी, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री राकेश मोहन पांडे,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

25.04.2025

1) याचिकाकर्ता उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा जारी दिनांक 01.09.2018 (अनुलग्नक पी/1) के आक्षेपित आदेश से व्यथित है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को माली ('माली') के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की गई थी, जो कि चतुर्थ श्रेणी का पद है।याचिकाकर्ता का तर्क है कि वह चालक के पद के लिए शैक्षणिक रूप से योग्य

है, जो कि तृतीय श्रेणी का पद है और इसलिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 14.06.2013 के परिपत्र के आलोक में ऐसी नियुक्ति का हकदार है।

2) तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि याचिकाकर्ता के पिता, स्वर्गीय श्री घनश्याम दास मानिकपुरी, जो धमतरी में लोक निर्माण विभाग में चौकीदार के रूप में कार्यरत थे, की 14.03.2018 को सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्रवाई की गई और उनकी नियुक्ति पर विचार किया गया, अंततः उन्हें माली के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया।याचिकाकर्ता ने चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया, और यह प्रस्तुत किया गया कि बाद में, उत्तरवादी संख्या 3 ने चालक के पद के लिए याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश की। हालाँकि, ऐसी अनुशंसा और पात्रता के बावजूद, उन्हें ड्राइवर के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई, और इसके बजाय, माली के पद के लिए दिनांक 01.09.2018 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और माली का पदभार ग्रहण कर लिया।

3) श्री भगत का सीमित तर्क दिनांक 14.06.2013 के परिपत्र के बिंदु संख्या 7(3) पर आधारित है, जिसमें प्रावधान है कि किसी मृतक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, यदि वह शैक्षणिक रूप से योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री तिवारी ने **अनुसुइया ओटी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य (डब्ल्यूपीएस संख्या 4324/2015)** के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह माना गया है कि एक बार जब कोई व्यक्ति अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वीकार कर लेता है, तो उसके बाद पद में परिवर्तन या उन्नयन का दावा अस्वीकार्य है, जो "अंतहीन अनुकंपा" का दावा करने के प्रयास के समान है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकृत कर दिया है।

5) श्री तिवारी ने **आई.जी. (कार्मिक) एवं अन्य बनाम प्रहलाद मणि त्रिपाठी**, (2007) 6 एससीसी 162 मेंमाननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी समर्थन किया है, जहां न्यायालय ने कहा था कि एक बार अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार प्रयोग और समाप्त हो जाने के बाद, उच्च पद के लिए कोई आगे या दूसरा विचार नहीं उठता है।

6) सुना गया ।

7) **अनुसुइया ओटी (सुप्रा)** के मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार किसी व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है और उसने इसे स्वीकार कर लिया है और कार्यभार ग्रहण कर लिया है, तो पद में परिवर्तन या उन्नयन का दावा स्वीकार्य नहीं है। इसी प्रकार, **प्रह्लाद मणि त्रिपाठी (सुप्रा)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक बार का लाभ है, और लाभार्थी उस आधार पर आगे विचार या पद में सुधार की मांग नहीं कर सकता है।

8) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक अधिकार नहीं है, बल्कि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सामने आने वाले तत्काल वित्तीय संकट को कम करने के लिए सेवा न्यायशास्त्र के तहत दी गई रियायत है।इसे नियमित रोजगार के साधन के रूप में नहीं माना जा सकता है और न ही इसे योजना या दिशानिर्देशों के दायरे से परे उच्च पात्रता हेतु दबाव डाला जा सकता है।

9) इस योजना के अंतर्गत नियुक्ति पदों की उपलब्धता, प्रशासनिक विवेकाधिकार और अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन है।यद्यपि याचिकाकर्ता का नाम चालक के पद के लिए अनुशंसित किया गया था, लेकिन अंतिम नियुक्ति माली (माली) के पद पर की गई थी।याचिकाकर्ता ने असहमति के बावजूद, 14.09.2020 को विरोध के तहत उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया।

10) उपर्युक्त मामलों के अनुपात को वर्तमान तथ्यों पर लागू करते हुए, एक बार जब याचिकाकर्ता को माली (माली) के पद पर विरोध के तहत भी नियुक्त किया गया है, तो चालक के पद पर उन्नयन का दावा विधिक रूप से मान्य योग्य नहीं है।विरोध के बावजूद भी नियुक्ति स्वीकार करना एकमुश्त लाभ की समाप्ति के समान है। ऐसी नियुक्तियों में अंतहीन बातचीत या विकल्प नहीं हो सकते, जो भर्ती के सामान्य नियम का अपवाद हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11) इसके अलावा, अनुकंपा नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं है, बल्कि तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक नीति द्वारा बनाया गया एक अपवाद है।ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित है, और न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे प्रशासनिक निर्णयों के स्थान पर अपनी प्राथमिकताएँ निर्धारित करें।

12) पूर्वगामी चर्चा तथा ऊपर उल्लिखित बाध्यकारी उदाहरणों के आलोक में, माली/(चतुर्थ श्रेणी) से चालक (तृतीय श्रेणी) के पद पर उन्नयन हेतु याचिकाकर्ता का दावा योग्यता से रहित है।तदनुसार, रिट याचिका इसके द्वारा खारिज कर दी जाती है।इस पर कोई वाद व्यय देय नही होगा।

सही/–

(राकेश मोहन पांडे)

न्यायाधीश

रिट याचिका सेवा संख्या 6349/2018

हेड नोट :

अनुकंपा नियुक्ति एक रियायत है, अधिकार नहीं।एक बार स्वीकृत होने के बाद, पद परिवर्तन या उन्नयन का कोई दावा स्वीकार्य नहीं है।ऐसे मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन सीमित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur